

अनुदान संख्या 82 - जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 82-DEPARTMENT OF BIO-TECHNOLOGY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	273,35,00		
पूरक	Supplementary	2,00		
			273,37,00	262,54,64
				-10,82,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			10,14,14

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"			
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research			
मू.	O.	26877.00		
पू.	S.	2.00	25832.14	25759.16
पु.	R.	-1046.86		-72.98

(I) "अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों का सहायता" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(I) Under "Others- Assistance to Other Scientific Bodies" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान और विकास"- 2431.16 लाख रु. की बचत (11400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई, और

(A) "Research and Development"- saving of Rs. 2431.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 11400.00 lakhs); and

(खा) "आई एंड एम सेक्टर - प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों, प्रायोगिक परियोजनाओं, जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों और जैव-प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए सहायता"- 300.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "I and M Sector-Assistance for Technology Incubators, Pilot Projects, Biotechnology Parks and Biotech Development Fund"- saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें इस तथ्य के कारण हुईं कि कार्य बल द्वारा प्रत्याशित संख्या में परियोजनाएं निधीयन के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1580.88 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि “अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2003 और फरवरी, 2004 प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) “वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय”- 1389.00 लाख रु.।

(II) “मानव संसाधन विकास”- 191.88 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 166.97 लाख रु. था।

Savings under the above two heads were due to the fact that anticipated number of projects were not found fit for funding by the task force.

2. The above savings were partly (Rs.1580.88 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.1.00 lakh each in August, 2003 and February, 2004 under “Others - Assistance to Other Scientific Bodies” – under the following heads:-

(I) “Scientific Institutions/Professional Bodies”- Rs.1389.00 lakhs.

(II) “Human Resource Development” – Rs.191.88 lakhs. Actual excess, however, was Rs.166.97 lakhs.